

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

रणजीत सिंह बनाम इकबाल सिंह वगैरा

निगरानी प्रकरण सं० १५/२०२५

अधिवक्ता निगरानीकर्ता :- प्रेमप्रकाश मक्कड़ अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता :-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
15.01.2025	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी व रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 19.02.2025 को पेश हो।  अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर	78-101 15/1/25
19/2/25	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। सम्मन वास तामील। अजम तामील प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली वास्ते इहजा सिंग 16/4/25 को पेश हो।	3244-368 04/3/25
16-04-25	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा सिंग 04-03-25 का सम्मन तलबी पेश कर जारी करने का निवेदन दिया गया जिसे जारी किया गया। पत्रावली वास्ते उतजार तलबी सिंग 03-6-25 को पेश हो।	
02/01/25	पीठासीन अधिकारी अक्सर भ्रमण पर प्रशा० मन्त्र कार्यालय में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 29.1.25 को पेश हो।	
29-07-25	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। सम्मन वास। अजम तामील प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली वास्ते उतजार तलबी सिंग 17-09-25 को पेश हो।	
17/9/25	पीठासीन अधिकारी अक्सर भ्रमण पर प्रशा० मन्त्र कार्यालय में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 15/10/25 को पेश हो।	

15.10.25

बार साघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 09.12.25 को पेश है।

09.12.25

बार साघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 10.2.26 को पेश है।

10.2.26

पीठासीन अधिकारी अदालत में कार्य में व्यस्त हैं। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित हैं। पत्रावली दिनांक 24.3.26 को पेश है।

24.3.26 अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित निगानीकर्ता अधिवक्ता सम्मन चलवाना पेश नों फावली 4/5 नलवी दिनांक 06/07/26 को पेश है।

06.5.26

NOT
Proceed
6/5

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि अनवानी निगरानी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए लोक अदालत की भावना से अपने निगरानी प्रकरण को प्रार्थी इसी स्टेज पर दाखिल दफतर करवाना चाहता है। साथ ही निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने नोटप्रेस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस करने के कारण, हस्तगत निगरानी नोटप्रेस में खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासनिक)
श्रीगंगानगर